भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 430
(05 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत बजट आवंटन में कमी

430. **श्री ए. गणेशमूर्तिः**
श्री ए. राजाः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि त्योहारों के मौसम के बावजूद विगत चार महीनों के दौरान मजदूरों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत मजदूरी प्राप्त नहीं हुई है;
(ख) यदि हां, तो विशेषकर तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितना बजटीय प्रावधान किया गया है और राज्यों को कितनी धनराशि संवितरित की गई है;
(घ) क्या कतिपय राज्यों के संबंध में कुछ धनराशि रोकी गई है और यदि हां , तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या वर्ष 2023-24 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत बजट आबंटन में कमी की गई है ; और
(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): भुगतान में विलंब की श्रेणी के अंतर्गत पिछले चार माह में (दिनांक 01.08.2023 से 30.11.2023 तक) केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य	प्राप्त कुल शिकायतें	निपटान की गई कुल शिकायतें	कुल लंबित शिकायतें
बिहार	6	5	1

कर्नाटक	2	1	1
उत्तर प्रदेश	1	0	1
पश्चिम बंगाल	2	0	2
पंजाब	1	0	1
तमिलनाडु	4	4	0
मध्य प्रदेश	5	4	1
राजस्थान	8	7	1
कुल	**29**	**21**	**8**

(ग): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत बजट अनुमान चरण , संशोधित अनुमान चरण में निधियों का आवंटन और जारी की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

			(करोड़ रुपए में)
वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	जारी
2018-19	55,000.00	61,830.09	61,829.55
2019-20	60,000.00	71,001.81	71,687.71
2020-21	61,500.00	1,11,500.00	1,11,170.86
2021-22	73,000.00	98,000.00	98,467.84
2022-23	73,000.00	89,400.00	90,810.99

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना **(महात्मा गांधी नरेगा योजना)** के अंतर्गत जारी निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ): पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जा रही हैं। केन्द्र सरकार के निदेशों का अनुपालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य को निधियां जारी करना रोक दिया गया है।

(ङ) और (च): बजट अनुमान (बीई) स्तर पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के लिए 60,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया गया है। इसके अलावा , वित्त मंत्रालय द्वारा भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम के रूप में 10,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना सतत् प्रक्रिया है और केन्द्र सरकार जमीनी स्तर पर कार्य की मांग के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर कार्य की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त निधियों की मांग करता है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 05.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 430 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वित्तीय वर्षों 2018-19 से 2022-23 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जारी निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा (लाख रुपए में)						
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	657110.67	720472.46	1030509.79	718267.16	798909.30
2	अरुणाचल प्रदेश	19800.64	21020.01	34027.69	45374.43	57757.99
3	असम	103097.37	168752.49	260233.46	222026.01	205234.84
4	बिहार	281936.01	325093.78	728423.57	540736.96	639528.76
5	छत्तीसगढ़	289476.07	264031.92	394347.98	389433.98	338355.40
6	गोवा	48.83	216.76	356.91	3.81	511.53
7	गुजरात	102449.67	74758.23	147812.01	161524.32	169207.36
8	हरियाणा	34829.10	33812.58	76355.62	72267.99	37398.62
9	हिमाचल प्रदेश	75090.72	59748.12	94833.37	97575.08	115747.62
10	जम्मू और कश्मीर	79334.12	118370.31	115231.99	95013.74	105061.12
11	झारखंड	149989.63	127292.89	342408.42	306382.91	270863.73
12	कर्नाटक	297813.10	546271.17	550099.46	602807.73	622528.20
13	केरल	234048.78	352016.95	428677.68	355193.00	381842.70
14	मध्य प्रदेश	452909.74	471894.15	908672.51	847908.76	570213.49
15	महाराष्ट्र	194892.31	167066.42	160025.70	205645.71	254973.07
16	मणिपुर	28698.66	61074.66	130673.85	56310.74	108663.26
17	मेघालय	78903.38	102443.59	128416.59	112166.07	111691.95
18	मिजोरम	39783.58	52507.57	59045.38	54891.55	53871.87
19	नागालैंड	19322.98	33044.70	48382.14	56945.51	89744.90
20	ओडिशा	216328.30	243278.38	521529.26	568015.17	463836.25
21	पंजाब	57826.49	74886.26	123913.55	125759.36	118213.27
22	राजस्थान	524471.10	726747.87	892076.25	986774.85	966299.14
23	सिक्किम	9586.17	8269.34	11016.55	11241.97	9255.39
24	तमिलनाडु	488286.16	555969.31	878881.54	963813.22	970662.48
25	तेलंगाना	295817.48	222132.13	411121.10	410519.85	298868.14

26	त्रिपुरा	43543.49	73113.77	119498.53	98888.29	92203.45
27	उत्तर प्रदेश	530494.79	601701.90	1201410.42	850956.51	1062900.83
28	उत्तराखंड	59004.61	45580.30	88626.63	64203.24	79284.44
29	पश्चिम बंगाल	718525.61	850761.08	1145405.21	750780.15	@0.00
30	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	761.93	583.78	485.89	763.16	960.42
31	लक्षद्वीप	15.97	23.82	0.00	30.05	0.00
32	पुदुचेरी	1461.29	1691.87	2683.69	1307.28	2494.55
33	लद्दाख	0.00	0.00	2248.57	5904.39	6893.31
34	दादरा और नगर हवेली	484.00	0.00	0.00	0.00	161.87
	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00		

@ केंद्र सरकार के निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य को निधियाँ जारी करना रोक दिया गया है।